पत्र संख्या : 7ब/3451 गैरयोजना–01/2014.........261

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

अवर सचिव – सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, राँची ।

राँची, दिनांक 18-3-15

विषय :– वित्तीय वर्ष 2014–15 में मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष – 3451 – सचिवालय–आर्थिक सेवाएं, लघु शीर्ष–090–सचिवालय, उप शीर्ष–09–जल संसाधन विभाग मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट मुख्य शीर्ष **3451– सचिवालय–आर्थिक सेवाएं**, के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 3451– सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	090–सचिवालय	09–जल संसाधन विभाग	**14.220**

अतिरिक्त आवंटित राशि – रुपये चौदह लाख बाईस हजार मात्र

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट उपबंध तथा वित विभाग के पत्रांक 213 /बजट, दिनांक 09.03.15 द्वारा तृतीय अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त राशी यथा कुल राशी रूपये 852.68 लाख (आठ करोड़ बावन लाख अडसठ हजार) मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमरी)
सहा॰ अभि॰

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

9. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित उप सचिव/अवर सचिव/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

10. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

11. 15.11.2000 के बाद के बकाया के भुगतान मद में आबंटित राशि में से यदि राशि शेष रह गई हो तो अवशेष राशि से अन्य कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किया जा सकेगा।

12. वित्तीय वर्ष 2014–15 से सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।

13. **देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।**

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 22 मार्च 2015** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev Singh 17/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 261 रॉची, दिनांक :– 18-3-15

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev Singh 17/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 261 रॉची, दिनांक :– 18-3-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, जल संसाधन, के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II /मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	Sukhdev Singh 17/3 (सुखदेव सिंह)
संहा॰ अभि॰	उप सचिव (अभि॰)	प्रधान सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट–I

मुख्य शीर्ष–3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाएं

पत्रांक 261 दिनांक 18-3-15 का अनुलग्नक

लघु शीर्ष–090–सचिवालय /उप शीर्ष–09–जल संसाधन विभाग

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2014–2015		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें				विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रूपये में)	
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल० टी० सी०	15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	मशीनरी एवं उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यवसायिक सेवाऐं	दूरभाष	वर्दी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड →	49N345100 090090101	49N345100 090090112	49N3451000 90090183	49N345100 090090185	49N345100 090090213	49N345100 090090315	49N345100 090090317	49N345100 090090323	49N345100 090090329	49N345100 090090333	49N345100 090090334	49N345100 090090442	49N345100 090090760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	14	15	16	17
1	अवर सचिव – सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रॉची।	पूर्व का आवंटन	605.50	2.00	13.60	2.00	8.00	8.00	1.00	3.00	3.00	3.00	0.575	6.00	3.00	**658.675**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**11.490**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**2.730**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**14.220**	
		कुल आवंटन	605.500	2.000	25.090	2.000	8.000	8.000	1.000	3.000	5.730	3.000	0.575	6.000	3.000	**672.895**	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		0.000	0.000	11.490	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.730	0.000	0.000	0.000	0.000	14.220	

अतिरिक्त आवंटित राशि– रू० चौदह लाख बाईस हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

माग संख्या–49–जल संसाधन विभाग, 3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, लघु शीर्ष–090 सचिवालय, उप शीर्ष–09 जल संसाधन विभाग

पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन का विवरणी

क0 सं0	कार्यालय का नाम	पदाधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	बकाया वेतन की राशि
1	2	3	4	5
1	अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, रांची	श्री बिनोद कुमार श्रीवास्तव	से.नि.संख्यिकी पदा.	93,272
		श्री अवधेश कुमार शर्मा	अवर सचिव	31,478
		श्री ललित कुमार	अवर सचिव	49,308
		श्री संजय शरण	अवर सचिव	30,916
		श्री शशिभूषण तिवारी	अवर सचिव	50,835
		श्री सुदर्शन प्रसाद पाण्डेय	अवर सचिव	52,000
		श्री रामअवतार दूबे	संख्यिकी सहायक	3,41,090
		स्व. लखीराम सोरेन	अनु.	2,49,493
		श्री प्रभुनाथ साह	से.नि. चालक	2,50,027
			कुल	**11,49,000**

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

261
18-3-15